



डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 05-06-2022 का कार्यवृत्त

कार्य परिषद् की बैठक वृहस्पति भवन, पालीवाल पार्क, आगरा पर दिनांक 05.06.2022 को दोपहर 03:00 बजे आहूत हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये:-

प्रो0 विनय कुमार पाठक, कुलपति - अध्यक्ष

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 2. प्रो0 अजय तनेजा-प्रति कुलपति | 3. प्रो0 अचला गक्वर |
| 4. प्रो0 अनिल कुमार वर्मा | 5. डा0 रनवीर सिंह |
| 6. डा0 प्रीति जौहरी | 7. डा0 निर्मला यादव |
| 8. डा0 लता चन्डोला | 9. डा0 अमिता शर्मा |
| 10. प्रो0 प्रदीप श्रीधर | 11. डा0 शैलेन्द्र प्रताप सिंह |
| 12. डा0 बी0डी0 शुक्ला | 13. डा0 रोशन लाल |
| 14. डा0 नीलम यादव | 15. डा0 जगदीश प्रसाद शर्मा |

श्री संजीव कुमार सिंह, कुलसचिव - सचिव

बैठक में श्री अजय कृष्ण यादव, परीक्षा नियंत्रक विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप उपस्थित रहे।

सर्वप्रथम सचिव द्वारा बैठक के सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् अध्यक्ष की अनुमति से सचिव द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

- कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 15.03.2022 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार। (परिशिष्ट-1)
निर्णय:- कार्य परिषद् द्वारा पूर्व बैठक दिनांक 15.03.2022 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान की गई।
- कार्य परिषद् द्वारा विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 04.06.2022 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।
(परिशिष्ट-2)
निर्णय:-कार्य परिषद् द्वारा विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 04.06.2022 की संस्तुतियों के अनुमोदन प्रदान किय गया।
- कार्य परिषद् द्वारा वित्त समिति की बैठक दिनांक 03.06.2022 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।
(परिशिष्ट-3)

.....2

निर्णय:-वित्त समिति के मद संख्या-5 में लिये गये निर्णय पर माननीय सदस्य प्रो० रोशन लाल द्वारा यह सलाह दी गई कि विश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित संस्थानों/विभागों में कार्यरत शिक्षकों को सी०पी०एफ० (C.P.F) के स्थान पर उनके ई०पी०एफ०(E.P.F) काटने पर विचार किया जाना चाहिए तथा 15000/-रु० से कम वेतन प्राप्त करने वाले प्रत्येक कर्मचारी का ई०पी०एफ० नियमानुसार काटने पर विचार किया जाना चाहिए। उक्त संशोधन के साथ मद संख्या-5 को एवम् अन्य सभी मदों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।

4. कार्य परिषद् द्वारा विभिन्न विषयों के अर्न्तगत आहूत हुई दिनांक 24.04.2022 एवं दिनांक 04.06.2022 की चयन समिति की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-4)

निर्णय:-कार्य परिषद् में निम्नलिखित चयन समितियों के चयन सम्बन्धी बन्द (Sealed) लिफाफे प्रस्तुत किये गये तथा कार्य परिषद् की अनुमति से लिफाफे खोल कर संस्तुतियाँ पढी गयीं। संस्तुतियाँ पढने से पूर्व प्रो० बी०डी० शुक्ला, प्रो० रनवीर सिंह एवं प्रो० नीलम यादव अनुपस्थित रहीं, तद्नुसार प्रोन्नति का निर्णय लिया गया।

- (i) विषय:- बायो कैमिस्ट्र(गृह विज्ञान)- चयन समिति दिनांक 24.04.2022 के समक्ष उपस्थित

अभ्यर्थी का नाम:- डा० अर्चना सिंह

कार्य परिषद् द्वारा चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार किया गया डा० अर्चना सिंह को Stage IV से Stage V (Professor) के पद पर प्रोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

- (ii) विषय:- समाज कार्य - चयन समिति दिनांक 24.04.2022 के समक्ष उपस्थित

अभ्यर्थी का नाम:- डा० रनवीर सिंह

कार्य परिषद् द्वारा चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार किया गया। डा० रनवीर सिंह को Stage IV से Stage V (Professor) के पद पर प्रोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

- (iii) विषय:- इतिहास विषय- चयन समिति दिनांक 24.04.2022 के समक्ष उपस्थित

अभ्यर्थी का नाम:- डा० बी०डी० शुक्ला

कार्य परिषद् द्वारा चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार किया गया। डा० बी०डी० शुक्ला को Stage IV से Stage V (Professor) के पद पर प्रोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

- (iv) विषय:- रसायन विज्ञान - चयन समिति दिनांक 24.04.2022 के समक्ष उपस्थित

अभ्यर्थी का नाम:- डा० जैसवार गौतम लाल बिहारी

कार्य परिषद् द्वारा चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार किया गया। डा० जैसवार गौतम लाल बिहारी को Stage IV से Stage V (Professor) के पद पर प्रोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की गई।



.....3

- (v) **विषय:-** रसायन विज्ञान - चयन समिति दिनांक 24.04.2022 के समक्ष उपस्थित
अभ्यर्थी का नाम:- डा0 देवेन्द्र कुमार
कार्य परिषद् द्वारा चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार किया गया। डा0 देवेन्द्र कुमार को Stage IV से Stage V (Professor) के पद पर प्रोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- (vi) **विषय:-** वनस्पति विज्ञान - चयन समिति दिनांक 24.04.2022 के समक्ष उपस्थित
अभ्यर्थी का नाम:- डा0 आर0के0 अग्निहोत्री
कार्य परिषद् द्वारा चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार किया गया। डा0 आर0के0 अग्निहोत्री को Stage IV से Stage V (Professor) के पद पर प्रोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- (vii) **विषय:-** समाज कार्य - चयन समिति दिनांक 24.04.2022 के समक्ष उपस्थित
अभ्यर्थी का नाम:- डा0 राजेश कुशवाह
कार्य परिषद् द्वारा चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार किया गया। डा0 राजेश कुशवाह को Stage I से Stage II पर दिनांक 17.01.2017 से एवं Stage II से Stage III पर दिनांक 17.01.2022 से प्रोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- (viii) **विषय:-** समाज कार्य - चयन समिति दिनांक 24.04.2022 के समक्ष उपस्थित
अभ्यर्थी का नाम:- डा0 मोहम्मद हुसैन
कार्य परिषद् द्वारा चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार किया गया। डा0 मोहम्मद हुसैन को Stage I से Stage II पर दिनांक 12.01.2017 से एवं Stage II से Stage III पर दिनांक 12.01.2022 से प्रोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- (ix) **विषय:-** समाज कार्य - चयन समिति दिनांक 24.04.2022 के समक्ष उपस्थित
अभ्यर्थी का नाम:- डा0 राजीव वर्मा
कार्य परिषद् द्वारा चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार किया गया। डा0 राजीव वर्मा को Stage I से Stage II दिनांक 12.01.2017 से एवं Stage II से Stage III पर दिनांक 12.01.2022 से प्रोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- (x) **विषय:-** रसायन विज्ञान(गृह विज्ञान) - चयन समिति दिनांक 24.04.2022 के समक्ष उपस्थित
अभ्यर्थी का नाम:- डा0 सलीम जावेद
कार्य परिषद् द्वारा चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार किया गया। डा0 सलीम जावेद को Stage I से Stage II दिनांक 01.04.2017 से एवं Stage II से Stage III पर दिनांक 01.04.2022 से प्रोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की गई।



.....4

(xi) विषय:- भाषा विज्ञान - चयन समिति दिनांक 04.06.2022 के समक्ष उपस्थित

अभ्यर्थी का नाम:- श्रीमती० पल्लवी आर्य

कार्य परिषद् द्वारा चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार किया गया। श्रीमती० पल्लवी आर्य को Stage I से Stage II दिनांक 21.06.2020 से प्रोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(xii) विषय:- भाषा विज्ञान - चयन समिति दिनांक 04.06.2022 के समक्ष उपस्थित

अभ्यर्थी का नाम:- डा० रंजीत भारती

कार्य परिषद् द्वारा चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार किया गया। डा० रंजीत भारती को Stage I से Stage II दिनांक 15-01-2017 से प्रोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(xiii) विषय:- भाषा विज्ञान - चयन समिति दिनांक 04.06.2022 के समक्ष उपस्थित

अभ्यर्थी का नाम:- डा० रीतेश कुमार

कार्य परिषद् द्वारा चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार किया गया। डा० रीतेश कुमार को Stage I से Stage II दिनांक 18.11.2021 से प्रोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(xiv) विषय:- भाषा विज्ञान - चयन समिति दिनांक 04.06.2022 के समक्ष उपस्थित

अभ्यर्थी का नाम:- डा० नीलम यादव

कार्य परिषद् द्वारा चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार किया गया। डा० नीलम यादव को Stage I से Stage II दिनांक 15.01.2017 से प्रोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

5. कार्य परिषद् द्वारा निम्नलिखित नवीन पदकों का सृजन किये जाने पर विचार। (परिशिष्ट -5)

क्रमांक	नवीन पदकों का नाम	प्रायोजककर्ता का नाम
(i)	प्रोफेसर (डा०) हरस्वरूप शर्मा स्वर्ण पदक डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में एम०एस०सी गणित विषय में सर्वोच्च अंकों के साथ उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी हेतु	डा० शालिनी शर्मा, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान
(ii)	श्री राजेन्द्र पाठक एवं श्रीमती सुधारानी पाठक स्वर्ण पदक क०मु० हिन्दी विद्यापीठ में एम०ए० हिन्दी में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी हेतु	प्रो० हेमा पाठक, आचार्य, इतिहास एवं संस्कृति विभाग,
(iii)	श्री आनन्द शर्मा एवं कमलेश कुमारी शर्मा रजत पदक के०एम०आई० में संचालित पी०जी०डी०एम०सी० पाठ्यक्रमों में द्वितीय स्थान पर रहने वाले अभ्यर्थी हेतु	एडवोकेट बृजेश शर्मा, 6/203, स्वराज्य भवन, बेलनगंज, तिकोनियां, आगरा
(iv)	स्व० डा० राजीव अग्निहोत्री स्वर्ण पदक बी०एस०सी० पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष के सांख्यिकी विषय में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के लिए	डा० एस०पी० अग्निहोत्री, पी०एच-डी० स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रचार प्रसार में भावी योगदान
(v)	पं० होतीलाल उपाध्याय स्मृति स्वर्ण पदक B.Sc.(Voc) University Campus (Optical Instrumentation/ Instrumentation & Computer Application) में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के लिए	प्रो० शरद चन्द्र उपाध्याय, दाऊदयाल व्यवसायिक शिक्षण संस्थान।

(vi)	स्व० श्री गणेश दत्त शर्मा एवं स्व० श्रीमती शकुंतला शर्मा स्मृति स्वर्ण पदक. एम०ए० (Public Administration) में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के लिए	श्री विश्वअंबर शर्मा एवं शर्मा परिवार, 16/118, शाहगंज, आगरा
(vii)	स्व० रुक्मिणी देवी गर्ग स्मृति स्वर्ण पदक एम०एस०सी० (कम्प्यूटर साइंस) में विश्वविद्यालय एवम् महाविद्यालयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्रा के लिए	श्री राकेश गर्ग, प्रकाश जनरेटर, आगरा।
(viii)	स्व० श्री रमेश चन्द्र उपाध्याय स्वर्ण पदक एम०एस०सी० (स्कूल ऑफ़ लाइफ साइंस) में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए	डा० जे०सी० उपाध्याय, आगरा कालेज, आगरा

चूंकि उपरोक्त पदकों में से एक पदक कुलपति जी के परिवार से भी Sponsored किया गया है। अतः उक्त मद की अध्यक्षता प्रति कुलपति प्रो० अजय तनेजा द्वारा की गयी।

निर्णय:- कार्य परिषद् द्वारा उक्त सभी पदकों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया एवम् उक्त सृजित पदकों को आगामी दीक्षान्त समारोह में प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

6. कार्य परिषद् द्वारा निदेशक, इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी संस्थान, खन्दारी, आगरा के पत्र के आलोक में अनुबन्धित कर्मचारियों के विनियमितीकरण पर विचार। (परिशिष्ट -6)

निर्णय:- निदेशक, इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी संस्थान, खन्दारी, आगरा के पत्र संख्या: IET/BLS/609/2022 दिनांक 19.05.2022 को सचिव द्वारा परिषद् के समक्ष पढकर सुनाया गया, जिसके अर्न्तगत निदेशक, प्रो० वी०के० सारस्वत, इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी द्वारा निम्न आख्या प्रस्तुत की गयी:-

“विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत उक्त चारों कर्मचारियों के प्रथम नियुक्ति पत्रों का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि, इन कर्मचारियों की नियुक्ति नियमित पदों के सापेक्ष हुई थी, क्योंकि नियुक्ति पत्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि “The Vice-Chancellor has been pleased to appoint you on the contract basis or till the regular appointment is made, whichever is earlier” यथा नियमित नियुक्तियाँ नियमित पदों के सापेक्ष ही हो सकती हैं क्योंकि जहाँ तक मेरे संज्ञान में है उस समय तक संस्थान में अनुबन्धित कर्मचारियों के कोई भी पद वित्त समिति द्वारा सृजित नहीं हुये है। आपसे अनुरोध है, कि जिस तरह से विश्वविद्यालय के अन्य विभागों में वर्ष 2001 के पूर्व से कार्य कर रहे अनुबन्धित कर्मचारियों का विनियमितीकरण किया गया है, उक्त चारों कर्मचारी भी अन्य विनियमित हुये कर्मचारियों के समान अधिकार रखते हैं। इन चारों कर्मचारियों ने भी अन्य कर्मचारियों की भाँति विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में सेवाएं दी हैं।”

परिषद् ने उक्त संस्तुतियों को स्वीकार किया। परिषद् द्वारा निम्नांकित समिति, जो पहले से विनियमितीकरण का कार्य कर रही है:-

- (i) प्रो० अजय तनेजा
- (ii) प्रो० संजय चौधरी
- (iii) प्रो० अनिल वर्मा
- (iv) श्रीमती ममता सिंह(सहायक कुलसचिव)

समिति से अपेक्षा की कि समिति इस प्रकरण की समीक्षा (Scrutiny) कर तीन दिन में अपनी आख्या (Report) कुलपति जी को प्रस्तुत करेगी।

परिषद् द्वारा उक्त समिति की आख्या पर निर्णय लेने हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया।

7. कार्य परिषद् द्वारा डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में आवासीय संस्थानों के निदेशकों पर तीन वर्ष के अन्तराल पर चक्रानुक्रम की व्यवस्था लागू किये जाने पर विचार। (परिशिष्ट -7)

निर्णय:- परिषद् द्वारा प्रति कुलपति एवं डीन एकेडेमिक के पत्र दिनांक 01.06.2022 पर विचार विमर्श करते हुये सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जिस प्रकार से विश्वविद्यालय के सभी विभागों में उनके विभागाध्यक्षों की तीन वर्ष के अन्तराल पर चक्रानुक्रम की व्यवस्था रहती है, वही व्यवस्था विश्वविद्यालय के संस्थानों के निदेशकों पर भी लागू किया जाना उचित होगा।

विश्वविद्यालय के के0एम0संस्थान, आई0एस0एस0 एवम् गृह विज्ञान संस्थान में निदेशक के चयन हेतु अध्यादेश में निम्न व्यवस्था वर्णित है:-

“Till the regular appointment of a Director, one of the Professors, of the Institute and if the Institute has no permanent Professor, one the Permanent Readers, and if the Institute has no permanent Reader, one of the Permaenent Lecturer may be appointed as Acting Director. The appointment of a Lecturer as Acting Director will termiate within two months of the appointment of a permanent Reader and of a Reader as Acting Director will terminate within two months of the appointment of a permanent Professor.”

उक्त व्यवस्था के अनुसार अन्य चयनित Acting Directors पर भी 03 वर्ष के अन्तराल पर चक्रानुक्रम की व्यवस्था लागू किये जाने तथा विशेष परिस्थिति में (वर्तमान आचार्य के स्वयं, डीन होने अथवा कोई और आचार्य न होने पर) संस्थान के निदेशक स्वयं कुलपति रह सकते हैं अथवा उनके द्वारा नामित कोई भी आचार्य हो सकता है, का निर्णय लिया गया, साथ ही इस प्रयोजन हेतु सम्बन्धित विभागों के अध्यादेशों (Ordinance) में परिवर्तन कराने की प्रक्रिया पूर्ण कराने का निर्णय लिया गया।

निर्णय:- कार्य परिषद् द्वारा उक्त को अनुमोदन प्रदान किया गया।

8. कार्य परिषद् द्वारा प्रधान महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा समपरीक्षा वर्ष 2014-15 से वर्ष 2020-21 तक ऑडिट आपत्तियों के सम्बन्ध में विचार। (परिशिष्ट -8)

निर्णय:- कार्य परिषद् द्वारा उक्त मद पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में कम से कम ऑडिट आपत्तियाँ आये। इसके लिए निम्न सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया:-

- (i) डा0 रोशन लाल।
- (ii) प्रो0 मनु प्रताप सिंह।
- (iii) वित्त अधिकारी।
- (iii) श्रीमती ममता सिंह।
- (iv) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट।



.....7

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद

1. अध्यक्ष द्वारा परिषद् को अवगत कराया गया कि दिनांक 02.06.2022 को Governor House के साथ प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की एक बैठक आहूत हुई, जिसमें निम्न विषय पर चर्चा की गयी।
चूंकि प्रदेश में 03 नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है। अतः उनके मूल विश्वविद्यालय से महाविद्यालयों का स्थानान्तरण नवीन स्थापित विश्वविद्यालय में हो चुका है, जिसके कारण मूल विश्वविद्यालय पर Work Load कम हो चुका है, जिसके लिए Governor House द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त के अनुपात में कर्मचारियों का भी स्थानान्तरण मूल विश्वविद्यालय से नवीन स्थापित विश्वविद्यालय में किया जाना चाहिए।
उक्त पर परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के रिक्त पदों में से 60 पद (तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी को मिलाकर) अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ को प्रदान किये जायें तथा उपरोक्त के सम्बन्ध में Work Load के Against Man Power को Minimize करने हेतु निम्न सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया:-
(i) प्रो0 संजय चौधरी।
(ii) प्रो0 संजीव कुमार।
(iii) वित्त अधिकारी।
(iv) कुलसचिव।
(v) श्री पवन कुमार।
2. सचिव द्वारा परिषद् को अवगत कराया गया कि पूर्व में विनियमितीकरण हेतु गठित समिति के द्वारा 08 कर्मचारियों का विनियमितीकरण इस आधार पर नहीं किया गया था कि नियुक्ति के समय उनकी आयु नियुक्ति हेतु अर्हता के मानकों से कम थी। जिसकी जाँच करने हेतु एक समिति का गठन किया गया था, परन्तु समिति की एक सदस्या माननीय न्यायाधीश द्वारा अपना Refusal दे दिया गया, जिसके कारण प्रकरण का निस्तारण न हो सका।
परिषद् द्वारा गहन विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि उक्त सभी कर्मचारी सी0एम0ओ0 से आयु प्रमाण पत्र प्राप्त कर विश्वविद्यालय में जमा करायें, जिसके आधार पर निर्णय लिये जाने हेतु कुलसचिव को अधिकृत किया गया।
3. सचिव द्वारा परिषद् को अवगत कराया गया कि पूर्व में विनियमितीकरण समिति द्वारा मो0 रहीस(संविदाकर्मी), तृतीय श्रेणी को विनियमित सूची से किसी अन्य व्यक्ति के शिकायत किये जाने के उपरान्त विनियमितीकरण की प्रस्तावित सूची से हटा दिया गया था, जिसकी जाँच किये जाने हेतु लिए निम्न सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया:-





.....8

- (i) प्रो० ब्रजेश रावत।
- (ii) प्रो० पी०के० सिंह।
- (iii) प्रो० संजीव कुमार।
- (iv) श्री पवन कुमार, सहायक कुलसचिव प्रशासन

उक्त प्रकरण पर समिति द्वारा निम्न संस्तुति की गयी:-

“1. मौ० रहीस की नियुक्ति विश्वविद्यालय के नियमित संस्थान में हुई थी तथा इसी प्रकार के अन्य कर्मचारियों का विनियमितीकरण इसी आधार पर किया जा चुका है।

2. प्रशासन विभाग द्वारा पत्र संख्या प्रशा/1064/2022 दिनांक 28.0.2022 के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा को दिव्यांग प्रमाण पत्र के सत्यापन के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया गया जिसके संदर्भ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा के पत्रांक-मु०चि०अ०/सत्यापन/दि०बो०/2022-5537 दिनांक 01.06.2022 द्वारा मौ० रहीस के दिव्यांग प्रमाण पत्र को कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर सं० 2655 दिनांक 13.03.2013, 80 प्रतिशत के अनुसार निर्गत करने की पुष्टि की गयी।

इस प्रकार श्री वीरेश कुमार द्वारा की गयी दोनों शिकायतें बलहीन है।

अतः समिति श्री वीरेश कुमार की उपरोक्त दोनो शिकायतों के बलहीन होने के कारण मौ० रहीस को विनियमितीकरण समिति की संस्तुति के आलोक में विनियमित करने की संस्तुति करती है।”

समिति की उक्त संस्तुति के आधार पर परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मौ० रहीस को विनियमित करते हुये पत्र निर्गत किया जाय। (परिशिष्ट-1)

4. सचिव द्वारा श्री वीरेश कुमार की बहाली पर निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण को परिषद् के समक्ष रखा गया, जिसका विस्तृत विवरण माननीय कार्य परिषद् सदस्य प्रो० अनिल वर्मा द्वारा परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके उपरान्त परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि श्री वीरेश कुमार के प्रकरण को सम्पूर्ण विवरणों सहित (एफ०आई०आर० की अद्यतन स्थिति) आगामी कार्य परिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया जाय। (परिशिष्ट-2)
5. कार्य परिषद् द्वारा मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत श्री शिवम् पुत्र स्व० श्री श्याम सुन्दर को तृतीय श्रेणी में नियुक्ति प्रदान करने को अनुमोदन प्रदान किया। (परिशिष्ट-3)
6. कार्य परिषद् द्वारा मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत श्री अरविन्द कुमार पुत्र स्व० श्री सोवरन सिंह को तृतीय श्रेणी में नियुक्ति प्रदान करने को अनुमोदन प्रदान किया गया। (परिशिष्ट-4)
7. विभिन्न महाविद्यालयों में पूर्व के वर्षों में अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त पाठ्यक्रमों में स्थाई सम्बद्धता सम्बन्धी निरीक्षण पैनल कराने के बावजूद भी उक्त महाविद्यालयों को स्थायी सम्बद्धता प्रदान नहीं जा रही थी, के सम्बन्ध में माननीय कार्य परिषद् की पूर्व में आहूत हुई विभिन्न बैठकों में उक्त प्रकरण को रखा गया और यह निर्णय लिया

.....9

गया कि जिन महाविद्यालयों द्वारा स्थायी सम्बद्धता की सभी शर्तों को पूरा कर लिया हो और वर्तमान में भी अवस्थापना सम्बन्धी मानक को पूर्ण करते हों, सम्बन्धी शपथ पत्र के आधार पर 08 जनपदों के कुल 201 महाविद्यालयों के ऐसे पाठ्यक्रमों को, जिनकी समयावधि पूर्ण हो रही थी, को स्थायी सम्बद्धता प्रदान की गयी है। माननीय कार्य परिषद् द्वारा ऐसे पाठ्यक्रमों को स्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने को अनुमोदन प्रदान किया गया। इन सभी महाविद्यालयों का Data base तैयार कर लिया जाय जिसमें अनुमोदित प्राचार्य, अनुमोदित शिक्षकों की सूची एवं महाविद्यालय की अवस्थापना (infrastructure) सम्बन्धी सूचनाएँ दर्शाते हुए महाविद्यालय के डाटाबेस को ऑन लाईन कराये जाने का निर्देश प्रदान किया गया।

8. कार्य परिषद् द्वारा शासन के पोर्टल <http://henoc.upsdc.gov.in> के माध्यम से प्रस्तावित नवीन 13 महाविद्यालय, एवम् पूर्व से संचालित 14 महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने को अनुमोदन प्रदान किया गया।(परिशिष्ट-5)
9. कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के आवासीय संस्थानों में स्नातक/परास्नातक स्तर पर जो नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जा रहे है, उन पाठ्यक्रमों में सृजित हुए पदों को भी अनुमोदन प्रदान किया गया। (जैसा कि वित्त समिति द्वारा शुल्क इत्यादि सहित अनुमोदित है)

अन्त में कुलसचिव द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक के समापन की घोषणा की गई।


कुलसचिव


कुलपति



डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 04.06.2022 का कार्यवृत्त

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 04.06.2022 को पूर्वाह्न 1:00 बजे Zoom Platform पर आहूत हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :-

प्रो० विनय कुमार पाठक (अध्यक्ष) – कुलपति

2. प्रो० अजय तनेजा, प्रति कुलपति
3. प्रो० संजीव कुमार
4. प्रो० यू०सी० शर्मा
5. डा० कुलदीप कुमार
6. प्रो० अचला गक्खर
7. प्रो० वी०के० सारस्वत
8. प्रो० संजय चौधरी
9. डा० जैसवार गौतम लाल बिहारी
10. डा० आर०के० अग्निहोत्री
11. डा० अमिता शर्मा
12. प्रो० दीपमाला श्रीवास्तव
13. डा० एन०के० सिंह
14. डा० निशा अग्रवाल
15. डा० राजीव वर्मा
16. डा० विवेक
17. प्रो० मनोज कुमार श्रीवास्तव
18. प्रो० मनोज कुमार उपाध्याय
19. डा० भूपेन्द्र स्वरूप शर्मा
20. डा० के०पी० सिंह
21. प्रो० यू०एन० शुक्ला
22. प्रो० अनिल कुमार वर्मा
23. प्रो० मनुप्रताप सिंह
24. प्रो० बिन्दुशेखर शर्मा
25. प्रो० वी०पी० सिंह
26. डा० बी०डी० शुक्ला
27. प्रो० मोहम्मद अरशद
28. प्रो० पी०के० सिंह
29. प्रो० प्रदीप श्रीधर
30. प्रो० शरद उपाध्याय
31. प्रो० सुगम आनन्द
32. प्रो० विनीता सिंह
33. डा० रनवीर सिंह
34. डा० प्रीति जौहरी
35. डा० विवेक द्विवेदी
36. डा० सुकेश कुमार
37. डा० राधा अग्रवाल
38. डा० शैलेन्द्र प्रताप सिंह
39. डा० निर्मला यादव
40. प्रो० यू०सी० शर्मा

श्री संजीव कुमार सिंह, - सचिव

बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में परीक्षा नियंत्रक श्री अजय कृष्ण यादव भी शामिल रहे।

सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा बैठक के सदस्यों का स्वागत करते हुये माननीय अध्यक्ष की अनुमति से बैठक का संचालन प्रारम्भ किया गया।

1. विद्या परिषद् द्वारा पूर्व बैठक दिनांक 06.01.2022 की सम्पुष्टि पर विचार। (परिशिष्ट-1)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा पूर्व बैठक दिनांक 06.01.2022 को सम्पुष्टि प्रदान की गई।

2. विद्या परिषद् द्वारा प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 02.06.2022 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।
(परिशिष्ट-2)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 02.06.2022 की संस्तुतियों को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

3. विद्या परिषद् द्वारा परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 03.06.2022 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।
(परिशिष्ट-3)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 03.06.2022 की संस्तुतियों को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

4. विद्या परिषद् द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नई शिक्षा नीति-2020 के अर्न्तगत बी0ए0, बी0एस0सी0 एवं बी0कॉम0 के प्रथम 03 वर्ष हेतु ग्रेडिंग प्राणाली लागू करने विषयक शासनादेश संख्या 1032/सत्तर-3-2022-08(35)/2020 दिनांक 20.04.2022 के निर्देशानुसार विद्या परिषद् एवं कार्य परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में लागू किये गये परीक्षा नियंत्रक के पत्र संख्या सी0ओ0ई0/327/022 दिनांक 12.05.2022 के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-4)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नई शिक्षा नीति-2020 के अर्न्तगत बी0ए0, बी0एस0सी0 एवं बी0कॉम0 के प्रथम 03 वर्ष हेतु ग्रेडिंग प्राणाली लागू करने विषयक शासनादेश संख्या 1032/सत्तर-3-2022-08(35)/2020 दिनांक 20.04.2022 के निर्देशानुसार विद्या परिषद् एवं कार्य परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में लागू किये गये परीक्षा नियंत्रक के पत्र संख्या सी0ओ0ई0/327/022 दिनांक 12.05.2022 को अनुमोदन प्रदान किया गया।

परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि ग्रेडिंग प्राणाली को परास्नातक स्तर पर भी लागू किया जाय।



5. विद्या परिषद् द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू किये जाने हेतु उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1567/सत्तर-3-2021-16(26)/2011 टी0सी0 दिनांक 13 जुलाई, 2021 के बिन्दु संख्या-4 में दिये गये निर्देशों के अर्न्तगत परास्नातक एवं पी0एच-डी0 पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों एम0ए0/एस0एस0सी0/एम0कॉम0 में सी0वी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लागू किये जाने हेतु डा0 भीमराव आवेडकर विश्वविद्यालय, आगगा द्वारा तैयार की गई नियमावली के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-5)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त मद को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।

6. विद्या परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या No. F.1-10/2021(CPP-II) दिनांक 17 मई, 2022, जिसके द्वारा शोध पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 06 माह विस्तारित कर दी गई है, से अवगत कराना एवं अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-6)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त मद को अनुमोदन प्रदान किया गया।

7. विद्या परिषद् द्वारा आई0क्यू0ए0सी0 (Internal Quality Assurance Cell) की दिनांक 16 मई, 2022 को आहूत हुई बैठक की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-7)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा आई0क्यू0ए0सी0 (Internal Quality Assurance Cell) की दिनांक 16 मई, 2022 को आहूत हुई बैठक की संस्तुतियों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।

8. विद्या परिषद् द्वारा सामान्य अंग्रेजी व अंग्रेजी भाषा को समान पाठ्यक्रम किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत अधिसूचना संख्या:शैक्षिक/1088/22 27.04.2022 दिनांक के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-8)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त मद की सरहना करते हुये हर्ष व्यक्त किया गया एवं सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

9. विद्या परिषद् द्वारा नई शिक्षा नीति-2020 के अनुक्रम में सत्र 2021-22 के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा एवम् पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में डीन अकादमिक द्वारा दिनांक 02.02.2022 को आहूत बैठक के कार्यवृत्त से अवगत कराना एवं अनुमोदन पर (परिशिष्ट-9)

टिप्पणी:- उक्त संस्तुतियाँ का अनुमोदन पूर्व में ही परीक्षा समिति एवं कार्य परिषद् द्वारा किया जा चुका है, चूंकि दिनांक 02.02.2022 के पश्चात् विद्या परिषद् दिनांक 04.06.2022 को आहूत हुई है। अतः अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त मद को अनुमोदन प्रदान किया गया।

10. विद्या परिषद् द्वारा कला संकाय की बैठक दिनांक 01.06.2022 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-10)
निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा कला संकाय की संस्तुतियों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।
11. विद्या परिषद् द्वारा विज्ञान संकाय की बैठक दिनांक 01.06.2022 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-11)
निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा विज्ञान संकाय की संस्तुतियों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।
12. विद्या परिषद् द्वारा वाणिज्य संकाय की बैठक दिनांक 01.06.2022 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-12)
निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा वाणिज्य संकाय की संस्तुतियों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।
13. विद्या परिषद् द्वारा Department of Microbiology की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 12.02.2022 की संस्तुतियों से अवगत कराना एवं अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-13)
निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त मद से अवगत हुई एवं अनुमोदन प्रदान किया गया।
14. विद्या परिषद् द्वारा Department of Botany की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 17.02.2022 द्वारा Seed Technology पाठ्यक्रम की संस्तुतियों से अवगत कराना एवं अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-14)
निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा उक्त पाठ्यक्रम सम्बन्धी संस्तुतियों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।
15. विद्या परिषद् द्वारा सेठ पदम चन्द्र संस्थान, खन्दारी, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 05.03.2022 द्वारा "Office Management & Secretarial Practice" (Om & SP) पाठ्यक्रम की संस्तुतियों से अवगत कराना एवं अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-15)
निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त पाठ्यक्रम सम्बन्धी संस्तुतियों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।
16. विद्या परिषद् द्वारा बेसिक विज्ञान संस्थान, खन्दारी, आगरा में Department of Chemistry की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 14.05.2022 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-16)
निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।
17. विद्या परिषद् द्वारा सत्र 2022-23 से बी0वी0ए0 पाठ्यक्रम में 60 सीटों का एक अतिरिक्त सैक्शन प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में सेठ पदम चन्द्र जैन संस्थान, खन्दारी, आगरा के विभागाध्यक्ष प्रो0 ब्रजेश रावत के पत्र दिनांक 25.05.2022 पर विचार। (परिशिष्ट-17)
निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा सत्र 2022-23 से बी0वी0ए0 पाठ्यक्रम में 60 सीटों का एक अतिरिक्त सैक्शन प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में सेठ पदम चन्द्र जैन संस्थान, खन्दारी, आगरा के विभागाध्यक्ष प्रो0 ब्रजेश रावत के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

18. विद्या परिषद् द्वारा Institute of Social Science, खन्दारी, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 26.04.2022 की संस्तुतियों को अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-18)
निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।
19. विद्या परिषद् द्वारा क०मु० हिन्दी एवं भाषा विज्ञान विद्यापीठ, पालीवाल पार्क, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 30.04.2022 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-19)
निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त संस्तुतियों के सम्बन्ध में विचार विमर्शोपरान्त यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।
20. विद्या परिषद् द्वारा गृह विज्ञान संस्थान, खन्दारी, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 26.04.2022 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-20)
निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त संस्तुतियों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।
21. विद्या परिषद् द्वारा ललित कला संस्थान की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 30.04.2022 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-21)
निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त संस्तुतियों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।
22. विद्या परिषद् द्वारा दाऊदयाल इन्स्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, खन्दारी, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 23.05.2022 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-22)
निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त संस्तुतियों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।
23. विद्या परिषद् द्वारा स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, खन्दारी आगरा के अर्न्तगत Department of Zoology की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 24.05.2022, Department of Forestry की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 22.05.2022, Department of Biochemistry की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 20.05.2022, Department of Botany की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 20.05.2022, Department of Environmental Studies की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 21.05.2022, Department of Microbiology की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 20.05.2022 एवं Department of Biotechnology की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 21.05.2022 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-23)
निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त समस्त एकेडेमिक कमेटी की संस्तुतियों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।
24. विद्या परिषद् द्वारा बेसिक विज्ञान संस्थान, खन्दारी आगरा के अर्न्तगत Department of Mathematics की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 29.04.2022 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-24)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा बेसिक विज्ञान संस्थान, खन्दारी आगरा के अर्न्तगत **Department of Mathematics** की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 29.04.2022 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

25. विद्या परिषद् द्वारा इन्स्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एण्ड होटल मैनेजमेंट, खन्दारी, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 19.05.2022 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-25)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त संस्तुतियों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।

26. विद्या परिषद् द्वारा पं० दीन दयाल उपाध्याय ग्राम्य विकास संस्थान, पालीवाल पार्क, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 28.04.2022 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-26)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त संस्तुतियों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।

27. विद्या परिषद् द्वारा **Department of Pharmacy** खन्दारी, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 07.03.2022 एवं 23.05.2022 की संस्तुतियों को अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-27)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त संस्तुतियों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।

28. विद्या परिषद् द्वारा **Department of Computer Science**, आई०ई०टी० खन्दारी, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 29.04.2022 की संस्तुतियों को अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-28)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त संस्तुतियों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।

29. विद्या परिषद् द्वारा **Department of Physics** खन्दारी, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 29.04.2022 की संस्तुतियों को अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-29)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त संस्तुतियों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।

30. विद्या परिषद् द्वारा **Department of Physical Education** छलेसर, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 29.04.2022 की संस्तुतियों को अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-30)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त संस्तुतियों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।

31. (i) विद्या परिषद् द्वारा इतिहास के विभागाध्यक्ष प्रो० सुगम आनन्द के पत्र दिनांक 09.05.2022 के अनुमोदन पर विचार, जिसके द्वारा नई शिक्षा नीति-2020 के निर्देशानुसार परास्नातक पाठ्यक्रमों की संरचना प्रस्तुत की गयी है।

- (ii) इतिहास विभाग की एकेडेमिक कमेटी की दिनांक 31.05.2022 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।

(परिशिष्ट-31)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त संस्तुतियों को सम्यक् गहन विचार विमर्शपरान्त यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।

32. विद्या परिषद् द्वारा Department of Library & Information Science, पालीवाल पार्क, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 29.04.2022 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-32)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा उक्त संस्तुतियों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।

33. विद्या परिषद् द्वारा स्कूल ऑफ लाइफ साइंस संस्थान, खन्दारी, आगरा में परास्नातक स्तर पर नई शिक्षा नीति-2020 के अर्न्तगत तैयार किये गये पाठ्यक्रमों एवं सम्बन्धित अध्यादेशों हेतु आहूत की गई निम्न एकेडेमिक कमेटी की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (संलग्नक-33)

- (i) Department of Environmental Studies दिनांक 02.06.2022।
- (ii) Department of Zoology दिनांक 02.06.2022।
- (iii) Department of Microbiology दिनांक 02.06.2022।
- (iv) Department of Biotechnology दिनांक 03.06.2022।
- (v) Department of Botany दिनांक 03.06.2022।
- (vi) Department of Biochemistry दिनांक 03.06.2022।

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त समस्त एकेडेमिक कमेटी की संस्तुतियों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।


अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद

1. विद्या परिषद् द्वारा प्रति कुलपति प्रो० अजय तनेजा के Teaching Assistantship to Research Students Registered in RW Department विषयक पत्र दिनांक 01.06.2022 पर विचार। (परिशिष्ट-1)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा प्रति कुलपति प्रो० अजय तनेजा के उक्त प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में कुलसचिव द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।


कुलसचिव


कुलपति